

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर

पत्रांक /मान्यता/ 1153

/2013-14

दिनांक 10/7/13

प्रबन्धक

एस0एस0 मैमोरियल पब्लिक स्कूल,
सैथली, दादरी, गौतमबुद्धनगर।

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपको तारीख 26.08.2012 के आवेदन और उस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं उपरोक्त (विद्यालय का नाम, पते सहित) को तारीख 01.07.2013 से तारीख 30.06.2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिये अंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ। (अंग्रेजी माध्यम)

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से से कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई मान्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी नियम 2010 (उपाबंध 1) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

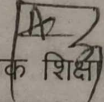
1. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

- II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - VI. अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास उस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
 8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालयों के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	1686 वर्ग मी0
कुल निर्मित क्षेत्र	800 वर्ग मी0
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	886 वर्ग मी0
कक्षाओं की संख्या	13 कक्ष
प्राध्यापक-सहकार्यालय-सह भांडागार के लिये कक्ष	03 कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	02
पेयजल सुविधा	उपलब्ध है
मिड-डे मील पकाने के लिये रसोई	उपलब्ध है
बाधारहित पंहुच	है।
- अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता है।
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी।
 10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
 11. विद्यालय को सेसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
 12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालयों को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 44H.5-4.2 है। कृपया इसे नोट कर लें और उस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित संस्कार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किए जाये।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये।
17. सलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर